सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 428	राँची, गुरुवार,	8 आषाढ़, 1938 (श॰) 29 जून, 2017 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

9 जून, 2017

संख्या-एल॰जी॰-09/2017-62/लेज॰-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 6 जून, 2017 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 02, 2017)

झारखण्ड अधिनियम 10, 2015 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 एवं झारखण्ड अधिनियम 05, 2016 दिनांक 9 फरवरी, 2016 में संशोधन हेतु अध्यादेश ।

प्रस्तावना:- चूँकि, झारखण्ड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है,

और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्धमान है जिनके कारण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन करने हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है:-

इसलिए अब, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-**

(i) यह अध्यादेश झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2016 कहा जा सकेगा ।
(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।
(iii) यह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।

1. झारखण्ड अधिनियम 10, 2015 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 एवं झारखण्ड अधिनियम 05, 2016 दिनांक 9 फरवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 18 के उपधारा (3) एवं उपधारा (4) मे किये गये संशोधनों को दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।
2. झारखण्ड अधिनियम 10, 2015 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में किये गये संशोधनों तथा धारा 18 की उपधारा (8) की कंडिका (ix) तथा धारा 18 की उपधारा (10) मे किये गये संशोधन एवं धारा 18 की उपधारा (8) मे जोड़ी गई कंडिका (xviii) को दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।
3. झारखण्ड अधिनियम 05, 2016 दिनांक 9 फरवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में किये गये संशोधनों तथा धारा 18 के उपधारा (4) की कंडिका (iii) के बाद जोड़े गये परंतुक को दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

अधिसूचना

9 जून, 2017

संख्या-एल०जी०-09/2017-63/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 जून, 2017 को अनुमत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन)अध्यादेश, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2016

(Jharkhand Ordinance No. 02, 2017)

An Ordinance to amend Jharkhand Act, 10 of 2015 dated 23 September, 2015 and Jharkhand Act, 05 of 2016 dated 9 February, 2016.

Preamble-

Whereas the legislative Assembly of state of Jharkhand is not in session and, whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend an existing provision of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title, extent and commencement** –

   (i) This Ordinance shall be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2016.

   (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

   (iii) It shall be deemed to have come into force w.e.f. 23 September, 2015.

1 The amendments, as made in Jharkhand Value Added Tax Act (Jharkhand Act 05, 2006) and as amended in sub-section (3) and sub-section (4) of section 18, by Jharkhand Act 10, 2015 dated 23 September, 2015, and Jharkhand Act 05, 2016 dated 9 February, 2016, shall be deemed to effective from 23 September, 2015.

2 The amendments as made in Jharkhand Value Added Tax Act (Jharkhand Act 05, 2006) and as amended in clause (ix) of sub-section (8) of section 18, and in sub-section (10) of section 18, and insertion of clause (xviii) in sub-section (8) of section 18, by Jharkhand Act 10, 2015 dated 23 September, 2015, shall deemed to be effective from 23 September, 2015.

3 The amendments as made in Jharkhand Value Added Tax Act (Jharkhand Act 05, 2006) and a proviso as inserted in clause (iii) of sub-section (4) of section 18, by Jharkhand Act 05, 2016 dated 9 February, 2016, shall be deemed to effective from 23 September, 2015.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 428--50